भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2541
(जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

ग्लोबल फिलॉन्थ्रोपी इंडेक्स में भारतीय कारपोरेट का निम्न स्थान

2541. श्रीमती वानसुक साइम :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह उम्मीद है कि भारतीय कारपोरेट क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2015 में कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा;
(ख) क्या सरकार ने स्वच्छ भारत कोष तथा गंगा सफाई कोष में अंशदानों को सीएसआर व्यय के लिए ग्राह्य माना है; और
(ग) क्या भारतीय कारपोरेट का स्थान ग्लोबल फिलॉन्थ्रोपी इंडेक्स के मामले में नीचे है और यदि हां, तो क्या दानार्थ प्रयोजनों की संकल्पना को विलंब से अपनाने वाले भारतीय कारपोरेट की मानसिकता को बदलने के लिए सरकार कोई पहल करेगी?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) : कंपनी अधिनियम, 2013 के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम 01.04.2014 से प्रवृत्त हुए हैं। अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन का यह प्रथम वर्ष है। कंपनियों द्वारा खर्च की गई राशि और चलाए जाने वाले कार्यकलापों की प्रकृति जैसे विवरण कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय का अनिवार्य प्रकटन करने के बाद ही उपलब्ध होंगे जो सितंबर, 2015 के बाद देय होगा। अभी कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय की मात्रा का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा।

(ख) : "स्वच्छ भारत अभियान" और "निर्मल गंगा मिशन" को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अधीन सीएसआर कार्यकलापों के रूप में 24 अक्तूबर, 2014 से शामिल किया गया है।

(ग) : सेंटर फॉर ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, हडसन इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन डी.सी. द्वारा विकसित ग्लोबल फिलॉन्थ्रोपी इंडेक्स विकसित देशों और उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं से विकासशील विश्व को सरकारी सहायता और निजी दान द्वारा दी गई विकास सहायता की मात्रा मापता है। यह इंडेक्स कंपनी अधिनियम और इसके कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रावधानों के अधीन नहीं आता है जो भारत के भीतर पात्र कार्यकलापों पर किए गए सीएसआर व्यय विहित करते हैं।

*****